मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2261

09.12.2024 को उत्तर के लिए

वन्य जीवों के हमले

2261. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाघ अभयारण्य वाले क्षेत्रों में वन्य जीवों के हमलों में राज्य-वार कितने लोग मारे गए हैं;

(ख) दुधवा बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित लखीमपुर, पीलीभीत और बहराइच जिलों में वन्य जीवों के हमलों में मारे गए लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) वन्य जीवों के हमले में मारे गए व्यक्तियों के मामले में प्रदान किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है और यह कब तक लागू है;

(घ) क्या मुआवजे की राशि में वृद्धि करने की कोई योजना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) बाघ अभयारण्य क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले वन्य जीवों के हमलों से लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) वन विभाग द्वारा अनेक योजनाएं बनाए जाने के बाद भी ऐसी घटनाओं के बारम्बार होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री:
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बाघों के हमलों के कारण हुई मानव-मौतों की संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख), (ग) और (घ): वित्तीय वर्ष 2024-25 में दुधवा टाइगर रिजर्व में 16 लोगों की जान जा चुकी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष को राज्य आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसमें पीड़ित की मृत्यु के मामले में 5 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।

वर्तमान में चल रही 'केन्द्रीय प्रायोजित योजना- वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास के घटक के रूप में बाघ परियोजना' के अंतर्गत, दिसंबर 2023 में अनुग्रह राशि की दर 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई, जिसमें निम्नलिखित घटक भी शामिल हैं:

क्र. सं.	**वन्यजीवों द्वारा पहुँचाए गए नुकसान की प्रकृति**	***अनुग्रह* राहत की राशि**
i.	स्थायी अशक्तता	10.00 लाख रूपये
ii.	गंभीर चोट	2.00 लाख रूपये
iii.	मामूली चोट	प्रति व्यक्ति 25,000/- तक उपचार की लागत
iv.	संपत्ति/फसल का नुकसान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के मानदंडों के अनुसार

(ङ) जहां तक बाघों का संबंध है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से मानव-वन्यजीव नकारात्मक संबंधों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित त्रि-आयामी कार्यनीति लागू की है:

(i) सामग्री की आपूर्ति और उसकी आवाजाही में सहयोग: बाघ रिजर्वों को बुनियादी ढांचे और सामग्री के मामले में क्षमता हासिल करने के लिए बाघ परियोजना की चल रही केंद्र प्रायोजित स्कीम के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे बाघों के स्रोत क्षेत्रों से बाहर उनके इधर-उधर भटकने की घटना से निपट सकें। बाघ रिजर्वों द्वारा इस वित्तीय सहायता की मांग प्रति वर्ष वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38v के तहत अधिदेशित एक व्यापक बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) के आधार पर तैयार एक वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) के माध्यम से की जाती है। आम तौर पर, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुग्रह राहत राशि और मुआवजे का भुगतान, मानव-पशु संघर्ष के संबंध में आम जनता को जागरूक बनाने, मार्गदर्शन करने और सलाह देने के लिए आवधिक जागरूकता अभियान, मीडिया के विभिन्न रूपों के माध्यम से सूचना का प्रसार, बाघों को गतिहीन करने के उपकरण और दवाओं की खरीद, संघर्ष की घटनाओं से निपटने के लिए वन कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन जैसी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।

(ii) पर्यावास के अंदर गतिविधियों को प्रतिबंधित करना: किसी बाघ रिजर्व में बाघों को आश्रय देने की क्षमता के आधार पर, एक व्यापक टीसीपी के माध्यम से पर्यावास के अंदर गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। यदि बाघों की संख्या पर्यावास की वहन क्षमता के स्तर पर है, तो यह सलाह दी जाती है कि पर्यावास के अंतर्गत गतिविधियों को सीमित किया जाना चाहिए ताकि बाघों सहित अन्य वन्यजीव अत्यधिक संख्या में इधर-उधर न भटकें जिससे मानव-पशु संघर्ष कम से कम हो। इसके अलावा, बाघ रिजर्वों के आसपास के बफर क्षेत्रों में, पर्यावास के भीतर गतिविधियों को इस तरह से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे मुख्य/महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास क्षेत्रों

की तुलना में अभीष्ट से भी कम हों, और उन्हें इतने विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किया जाए कि बाघ केवल अन्य समृद्ध पर्यावास क्षेत्रों में ही जा सकें।

(iii) मानक संचालन पद्धति (एसओपी): राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मानव-पशु संघर्ष से निपटने के लिए निम्नलिखित तीन एसओपी जारी किए हैं, जो सार्वजनिक 'डोमेन' में उपलब्ध हैं:

i. मानव-बहुल परिदृश्यों में बाघों के भटकने के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति से निपटने के लिए
ii. पशुधन पर बाघों के हमले से निपटने के लिए
iii. परिदृश्य स्तर पर स्रोत क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास की दिशा में सक्रिय प्रबंधन के लिए।

तीनों एसओपी में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं- बाघों के भटकने की घटना का प्रबंधन, पशुधन के मारे जाने की घटना का प्रबंधन करना ताकि संघर्ष को कम किया जा सके और साथ ही बाघों को स्रोत क्षेत्रों से उन क्षेत्रों में स्थानांतरित करना जहां बाघों की संख्या कम है, ताकि समृद्ध स्रोत क्षेत्रों में संघर्ष न हो।

साथ ही, बाघ संरक्षण योजनाओं के अनुसार वन्यजीव पर्यावास की गुणवत्ता में सुधार के लिए बाघ रिजर्व द्वारा आवश्यकता आधारित और स्थल-विशिष्ट प्रबंधन कार्यकलाप किए जाते हैं और इन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता 'वन्यजीव पर्यावसों का एकीकृत विकास' की चल रही केंद्र प्रायोजित स्कीम के बाघ परियोजना घटक के तहत प्रदान की जाती है।

(च) जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, सरकार की इस पहल के कारण, मानव-वन्यजीव संपर्कों का आपस में विरोधी व्यवहार की प्रकृति बदल रही है और यदि इन मामलों में कुछ आंशिक वृद्धि पायी भी गई है तो वह क्षेत्र से अलग हो गए वन्यजीवों के साथ मुठभेड़ों और राइट बर्डन्ड वनों के कारण होता है।

*****

अनुलग्नक-I

'वन्य जीवों के हमले' के संबंध में दिनांक 09.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2261 के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार बाघ के हमले से हुई मानव मौतों का ब्यौरा

क्र.सं.	**राज्य**	**2022**	**2023**	2024 (30-06-2024 **तक)**
1	आंध्र प्रदेश	**0**	-	**0**
2	अरूणाचल प्रदेश	**0**	**0**	**0**
3	असम	**0**	-	**0**
4	बिहार	**9**	-	**1**
5	छत्तीसगढ़	**0**	**3**	**0**
6	झारखंड	**0**	-	**0**
7	कर्नाटक	**1**	**8**	**1**
8	केरल	**0**	**0**	**0**
9	मध्य प्रदेश	**3**	**10**	**6**
10	महाराष्ट्र	82	**35**	**20**
11	मिजोरम	**0**	**0**	-
12	उड़ीसा	**0**	**0**	**0**
13	राजस्थान	**0**	-	**0**
14	तमिलनाडु	**0**	**1**	**0**
15	तेलंगाना	**0**	-	**0**
16	उत्तर प्रदेश	**11**	**25**	**10**
17	उत्तराखंड	**3**	-	**6**
18	पश्चिम बंगाल	**1**	-	-
	कुल	**110**	**82**	**44**

*****